अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....**सुपौल**....., सं0.....**20**....., सन्**2016**.....

केस का प्रकार.....**आर्बिट्रेशन**.....**(सिंहेश्वर दास बनाम भारतीय संघ एवं अन्य)**.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
28.10.2026	NH एवं राज्य उपस्थित। आवेदक अनुपस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि आवेदक सुनवाई हेतु निर्धारित विगत (09) नौ तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। आज भी आवेदक द्वारा इस वाद में कोई पैरवी नहीं किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 106 परियोजना अधिग्रहित भूमि खाता पुराना-46, नया-165, खेसरा पुराना-01/699, खेसरा नया-2, रकवा-0-1-0 कट्ठा के आवासीय से व्यवसायिक रूप में सम्परिवर्त्तन हेतु दायर किया गया है। विपक्षी (DLAO एवं NH) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा अधिग्रहित भूमि के शेष भाग पर निर्माणाधीन ROB के दुरगामी प्रभाव हेतु भूमि के अवमूल्यन का आधार लेते हुए अतिरिक्त मुआवजे की माँग की गई, जो विधि-सम्मत नहीं है, अधियाची विभाग द्वारा अर्जित भूमि के बावत् समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक को अर्जित भूमि का उचित प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही आवेदक द्वारा अर्जित भूमि के किस्म परिवर्त्तन हेतु आपत्ति दी गई, उक्त आपत्ति का निस्तार जिला स्तरीय छः सदस्यीय जाँच कमिटि द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदन में आवेदक के भू-खंड को आवासीय किस्म में रखा गया। तद्लोक में विपक्षी (DLAO एवं NH) द्वारा इस आर्बिट्रेशन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेजों तथा विपक्षी (DLAO एवं NH) द्वारा दाखिल जवाब के आलोक में आवेदक के भूमि के किस्म के अनुरूप देय मुआवजा राशि का भुगतान हेतु संगत नियमों के आलोक में स्वीकृति दी गई। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके की अधिघोषणा के पूर्व उनकी प्रश्नगत भूमि का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजनों से हो रही थी एवं उनके द्वारा इस संदर्भ में ससमय आपत्ति दाखिल किया गया था। फलस्वरूप प्रासंगिक मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा घोषित अवार्ड उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधितों को दी जाय। आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा